खाद्य सुरक्षा वाद संख्या–06/2020

राज्य सरकार बनाम दीपक दत्ता, दुर्गा स्वीट्स, झरिया

Date of order	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
14.8.20	यह वाद अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 1286/सा0 दिनांक 22.6.20 द्वारा विपक्षी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 की धारा 49 एवं 51 अंतर्गत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सुश्री अदिति सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,धनबाद द्वारा विपक्षी के दुकान से दिनांक 04.10.2019 को 200ग्राम X 04 पैकेट 'पनीर' का कय कर नमूने प्राप्त किया गया। उक्त नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त 'पनीर' की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के धारा–3(1)(zx)के अंतर्गत Sub-standard पाया गया। अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए विपक्षी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–49 एवं 51 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी । इसके आलोक में विपक्षी से कारण–पृच्छा की मांग की गयी । विपक्षी द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि यह वाद कानूनी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है। विपक्षी निर्दोष है एवं उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उक्त दुकान उनके परिवार की जीविका का एक मात्र साधन है। विपक्षी द्वारा 'पनीर' तैयार नहीं किया गया है। बल्कि उनके द्वारा स्थानीय दुध विक्रेता से उक्त 'पनीर' कय किया गया है। 'पनीर' तैयार करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा गम्भीर अपराध नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। राज्य की ओर से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, धनबाद का कथन है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त 'पनीर' खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के निर्धारित माप–दण्ड के अनुरूप जांचोंपरांत नहीं पाया गया। इसके लिए विपक्षी दोषी है तथा दण्ड के भागी है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, धनबाद को सुना। साथ ही विपक्षी के कारण–पृच्छा एवं अभिलेख	

Scanned with CamScanner

में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त 'पनीर' का विधिवत रूप संकलन कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची में जांच हेतु भेजा गया था। प्रयोगशाला से प्राप्त खाद्य विश्लेषक प्रतिवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली,2011 के माप–दण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। विपक्षी का कहना है कि उक्त 'पनीर' स्थानीय दुध विकेता से कय किया गया है। परंतु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त सामग्री स्थानीय दुध विकेता से कय किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त 'पनीर' उनके परिसर से प्राप्त हुआ है जिसके लिए वे स्वंय दोषी है। अधिनियम के प्रावधानानुसार मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री नहीं पाये जाने पर उत्पादन, विकय, भण्डार, वितरण एवं आयत करने वाले व्यक्ति स्वंय उसके लिए उत्तरदायी है। अतएव विपक्षी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ,2006 की धारा–51 के अंतर्गत दोषी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के प्रावधान के उल्लंघन करने के निमित्त मात्र 25,000.00(पचीस हजार)रूपये का अर्थ दण्ड दिया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि दण्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के कॉश बैंक ड्राफट के माध्यम से, जो अद्योहस्ताक्षरी को भुगतेय होगा, एक पक्ष के अंदर जमा करें। साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को नजातर–उप समाहर्त्ता, धनबाद के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित करें। दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर उसके वसूली हेतु नियम–संगत अन्य अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित करायें।

इस आदेश की प्रतिलिपि उभय पक्षों के साथ–साथ प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, धनबाद तथा नजारत उप–समाहर्त्ता, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

14/08/20

न्यायिक अधिकारी
–सह–
उपायुक्त,धनबाद

14/08/20

न्यायिक अधिकारी
–सह–
उपायुक्त, धनबाद

105
17.8.20
all concerning officer

Scanned with CamScanner